

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2247 /
वार 12- 15/99

जबलपुर, दिनांक 27/09/2017

श्री रमेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 एवं दिनांक 24-09-2008 के परिषेक्ष्य में उनके द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 04-11-2010 के संलग्न परिशिष्ट एक में शीघ्रलेखक हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार दिनांक 01-04-2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sc/-
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल
R

पृष्ठांकन क्रमांक A/2248 /
वार 12 15/99

जबलपुर, दिनांक 27/09/2017

प्रतिलिपि :

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर/वालियर
- रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/आई.एल.आर. एण्ड एकजाम महोदय के निजी रायिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- राहायक सेवा पुरितका एवं वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उच्चतर वेतनमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन नियत वात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए।
- सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति राहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री रमेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Chandesh Kumar Khare
रजिस्ट्रार (प्रशा.)